ई–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महाग

आर0ई0आर0 केश सं0– 181/16–17

सत्य नारायण राय बनाम् चंदन कुवंर

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक सत्य नारायण राय, पे0–स्व0 रामेश्वर राय, सा0– सरसा पश्चिम पट्टा, थाना–हसडीहा, जिला–दुमका के आवेदन पर मौजा–सरवा नं0–774, जमाबंदी नं0–01 के दाग नं0–07, 08, 10, 113, 115, 148, 150, कुल रकवा–05–15–03 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–सरवा नं0–774, जमाबंदी नं0–01 गत सर्वे सेटलमेंट में जमाबंदी रैयत रोहिन कुवंर के नाम से दर्ज है। विपक्षी जमाबंदी रैयत का कोई नहीं है और आवेदक के जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तथा भूमि का खरीद फरोक्त भी कर रहे हैं। विपक्षी दबंग हैं और आवेदक के भूमि पर अवैध दखल कर लिये हैं, जबकि आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विवादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद आवेदकगण के द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौजा–सरवा नं0–774, जमाबंदी नं0–01 के दाग नं0–07, 08, 10, 113, 115, 148, 150, कुल रकवा– 05–15–03 धूर भूमि जो गत सर्वे सेटलमेंट में जमाबंदी रैयत राहिन कुवंर के नाम से दर्ज है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन में वंशावली के मुताबिक सत्यनारायण राय जमाबंदी रैयत रोहिन कुवंर का परनाती है एवं विपक्षी उपरोक्त वर्णित भूमि अवैध तरीके से दखल किये हुए हैं। उक्त भूमि विपक्षी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक ने न्यायालय से सही तथ्यों को जानबुझ कर छिपाया है और विपक्षी को परेशान करने की नियत से यह मुकदमा दाखिल किया गया है। विपक्षी चन्दर कुवंर जमाबंदी रैयत राहिन कुवंर के पुत्र तासो कुवंर का पोष्यपुत्र है जो निबंधन कार्यालय, गोड्डा से निबंधित है। आवेदक के पिता रामेश्वर राय द्वारा उक्त पोष्यपुत्रनामा को रद्द करने के लिए सबजज, प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट केश नं0–50/06 दायर किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। उक्त पोष्यपुत्रनामा के आधार पर अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा संबंध प्रमाण पत्र सं0–102, दिनांक–28.11.2016 निर्गत किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। संबंध प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी जमाबंदी रैयत का पोता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विपक्षी चंदन कुवंर जमाबंदी रैयत रोहिन कुवंर के पुत्र तासो कुवंर के पोष्यपुत्र हैं। इस आधार पर जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। इस पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

02.03.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

02.03.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:23:26 +05:30
Location: 192.168.1.51